न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—185/2018/223 (2018/00185)

1. महावीर पुत्र छोगालाल, जाति नाई, निवासी ग्राम जुनिया, तहसील केकड़ी जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी, दिनांक 9.5.2018 अंतर्गत वाद संख्या 1837/2018.

उपस्थितः—

1. श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 .

निर्णय

दिनांकः— 27.10.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय दिनांक 9.5.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम जुनिया, तहसील केकड़ी के खसरा नंबर 2442/11 रकबा 5 बीघा हाल खसरा नंबर 5588 रकबा 1.78 है0 किस्म बारानी प्रथम भूमि दर्ज है । वादग्रस्त आराजी का आवंटन दिनांक 7.7.1987 को आवंटन कमेटी की ग्राम पंचायत जूनिया में वादी को आवंटित की गई । वादी आवंटन के समय से ही उक्त आराजी पर काबिज काश्त है और काश्त करता चला आ रहा है । वादी द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का निवेदन किया गया लेकिन वादी को आज तक खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए है । अतः वाद स्वीकार कर वादी को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में नवीन आधारभूत जमाबंदी में वादी का नाम दर्ज किया जावे तथा माल गुजारी कायम की जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 9.5.2018 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । वादी द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद प्रस्तुत किये जाने पर वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा उपस्थित होने पर पत्रावली प्रतिवादी के जवाब में चलती रही तथा दिनांक 8.5.2018 को आदेशिका राजस्व कैम्प जूनिया में अगल दिनांक 9.5.2018 को सुनवाई हेतु रखी गई ओर इसी दिनांक राजस्व कैम्प जूनिया में सुनवाई कर विधि विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है । वादी/अपीलांट ने अपने वादपत्र की मद संख्या 1 व 2 में स्पष्ट कथन किया था कि वादग्रस्त भूमि के पुराने खसरा नंबर 2442/11 का रकबा 5 बीघा जिसके वर्तमान नये नंबर 5588 का रकबा 1.78 है0 का आवंटन वादी/अपीलांट को किया गया था जिस पर अपीलांट काबिज काश्त चला आ रहा है । अपीलांट ने अपने वादपत्र के समर्थन में आवंटन आदेश व आवंटन कमेटी द्वारा की गई कार्यवाही व लगान की रसीद तथा आवंटन के समय की वर्किंग जमाबंदी व मिलान क्षैत्रफल, नक्शा ट्रेस, खसरा गिरदावरी एवं वर्तमान जमाबंदी व खसरा गिरदावरी तथा दिनांक 3.2.2016 को जारी धारा 91 का नोटिस की प्रतियां प्रस्तुत की थी जिससे वादी के वादपत्र के कथनों की ताईद होती है तथा विवादित आवंटित भूमि पर वादी के कब्जे काश्त की पुष्टि होती है । वादी/अपीलांट द्वारा आवंटन आदेश की शर्तो की पालना किये जाने के बावजूद वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया है जो विधिविरूद्ध है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि आवंटन के 10 वर्ष उपरांत आवंटी स्वतः ही आवंटित भूमि का खातेदार हो जाता है । प्रतिवादी/रेस्पो0 का दायित्व था कि राजस्व अभिलेख में आवंटन का अंकन करते ओर उसके बाद खातेदारी का अंकन करते लेकिन प्रतिवादी ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया । वादी खातेदार के रूप में विवादित आराजी पर काबिज काश्त होने के बावजूद उसे अतिक्रमी मानकर धारा 91 का नोटिस जारी किया गया इसके बावजूद पटवारी हल्का ने दिनांक 8.5. 2018 को कब्जे के संबंध में विपरीत कथन करते हुए तहरीर रिपोर्ट पेश की जिसमें वादी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने का कथन किया है । अधी0न्याया0 ने इस रिपोर्ट के आधार पर पत्रावली का अवलोकन किये बिना तथा जवाब को रिकार्ड पर लिये बिना तनकीयात कायम किये बिना तथा पक्षकारान के बयान लिये बिना अपीलाधीन निर्णय द्वारा वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है ।अधी0न्याया0 ने केवल मात्र धारा 136 एल0आर0 एक्ट के तहत आवेदन की सुनवाई कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 का बाध्यकारी प्रावधानों व न्याय नियमों के अनुसार विधिवत् प्रक्रिया अपनाकर प्रतिवादी का जवाब रिकार्ड पर लेने के उपरांत वाद बिन्दु कायम कर उन पर पक्षकारान के बयान दर्ज कर दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में उनका विवेचन कर निर्णय पारित करना चाहिये था । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि धारा 136 में स्पष्ट प्रावधान है कि राजस्व अभिलेख में यदि कोई लिपिकीय त्रुटि हुई है तो सहमति से दुरूस्त की जा सकेगी जिस पर असहमति होने पर इंद्राज दुरूस्ती का वाद विधिवत् रूप से प्रक्रिया अपना कर निर्णय किया जावेगा लेकिन अधी0न्याया0 ने रेस्पो0/प्रतिवादी की गलती को छिपाते हुए वाद खारिज किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा वादी/अपीलांट को विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तदानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन दर्ज किया जावे ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वादग्रस्त आराजियात वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है । अपीलांट/वादी का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत रिपोर्ट से होती है। विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांट का मुख्य कथन है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 2442/11 रकबा 5 बीघा हाल खसरा नंबर 5588 रकबा 1.78 है0 का आवंटन दिनांक 7.7.1987 को आवंटन कमेटी द्वारा अपीलांट को किया गया था तब से अपीलांट/आवंटी विवादित भूमि पर काबिज काश्त है । इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 में विवादित आराजी खसरा नंबर 2442/11 रकबा 11 बीघा सिवायचक दर्ज है । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व तहसीलदार, केकड़ी से विवादित आराजी के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की है । पटवारी हल्का, केकड़ी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 8.5.2018 के पैरा संख्या 1 में वादी महावीर प्रसाद पि0 छोगालाल नाई को ग्राम जूनिया में गत खसरा नंबर 2442/11 में 5 बीघा भूमि दिनांक 7.7.1987 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित किया जाना अंकित किया है किन्तु उक्त रिपोर्ट के पैरा संख्या 3 व 4 में यह भी अंकित किया है कि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवयाचक दर्ज है तथा मौके पर वादी महावीर प्रसाद का आवंटित भूमि खसरा नंबर 2442/11 से बने नवीन खसरा नंबर 5588 पर कब्जा काश्त नहीं है । अपीलांट ने विवादित भूमि आवंटित होने के उपरांत आवंटित भूमि पर कब्जे काश्त के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है जिससे यह साबित हो कि आवंटी का आवंटन के पश्चात् आवंटित भूमि पर कब्जा होकर काश्त की जाती रही हो । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से अपना कब्जा काश्त साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में वादी/अपीलांट का वाद निरस्त किया है जिसमें हमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 9.5.2018 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 27.10.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर